

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id-uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) 2713551

election09@gmail.com

फोन न० (0135) 2713552

संख्या-2715/XXV-12(9)/2018

देहरादून : दिनांक 17 जुलाई, 2019

सेवा में,

श्री अनिल सिंह रावत,
पुत्र श्री हरी सिंह रावत,
ग्राम घंडियाल,
पोस्ट-नैथाना,
जिला पौड़ी-गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

विषय-
महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन सूचना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-1341 दिनांक 17 जुलाई 2019 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 9 जुलाई 2019 इस कार्यालय में दिनांक 17 जुलाई 2019 को प्राप्त हुआ है। आप द्वारा विन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में मांगी गयी वांछित सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्त की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता-
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़,
देहरादून- 248001

भवदीय,

(डी०पी०डंगवाल)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पू०संख्या 2715/XXV-12(9)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि- अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

(डी०पी०डंगवाल)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।



सत्यमेव जयते

सूचना
का अधिकार

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष . 0135-2673011, 2671671

संख्या-1341 /रा0नि0आ0-1/2658/2019

दिनांक 17 जुलाई, 2019

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री अनिल रावत पुत्र स्व0 श्री हरी सिंह रावत, ग्राम-घंडियाल, पोस्ट-नैथाना, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड का सूचना अनुरोध-पत्र दिनांक 09.07.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 16.07.2019 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता के उक्त अनुरोध-पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अनुरोध-पत्र के बिन्दु संख्या-03 में चाही गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0पी0कोठारी)

अनु सचिव/

लोक सूचना अधिकारी।

मो0नं0-7534820707

संख्या- /रा0नि0आ0-1/2658/2019 तददिनांक (पंजीकृत)

प्रतिलिपि:- श्री अनिल रावत पुत्र स्व0 श्री हरी सिंह रावत, ग्राम-घंडियाल, पोस्ट-नैथाना, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-246175 को सूचनार्थ।

(बी0पी0कोठारी)

अनु सचिव/

लोक सूचना अधिकारी।

331
16/7/19

पुष्पक: डॉ. अनिल रावत
पुष्प स्व. श्री हरी सिंह रावत
गाँव - घांडियाल पो. नैथाना,
जिला पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखण्ड - 246135

दिनांक 09/07/2019

श्री मन्मथ
के
वि. नं. 10/10
लोक सूचना आधिकारी
कार्यालय राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001

सेवा में;

विषय:

लोक सूचना आधिकारिक - 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रेषित करने के विषय में

मान्यवर,

उपरोक्त विषयक आपके संशान में लाया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के खंड विकास, कलपीखाल के अन्तर्गत पंचायतों के चुनाव हेतु जो मतदाता सूची बनायी जा रही है उसमें इस सन्नद्ध नदी है वहाँ कि जो बटार के बपति इस खंड विकास के अन्तर्गत विभिन्न बपतियों में कार्यरत है, उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, अर्थात् इन्हें मतदान के अधिकार से वंचित कर रहा है, ये लोग कई वर्षों से यहाँ पर निर्वासित रहे हैं तथा विभिन्न बपतियों में कार्यरत हैं इनके बच्चे भी यहाँ पर कई वर्षों से शिक्षारत हैं। उपरोक्तानुसार निम्न सूचना प्रेषित करने की कृपा करें।

34/आ/19

1.0

शेखरी भट्ट
निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड

10/10

दिनांक

- 1) क्या किसी भारतीय नागरिक को मतदाता से वंचित किया जा सकता है?
- 2) खंड विकास, कलपीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जो बपति अपना बपतिया चला रहा है या कई वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सकता है, जैसे कि बटार, ~~...~~ तथा अन्य बपतियों आप इस लोग कई वर्षों से यहाँ पर निर्वासित हैं तथा उनके बच्चे भी यहाँ पर शिक्षारत हैं, क्या इन बपतियों का नाम पंचायत निर्वाचन सूची में दर्ज नहीं हो सकता है?
- 3) क्या मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ दिया गया है या नहीं बनाने का कष्ट करें।
- 4) एक क्षेत्र में जो अन्य प्रदेशों के लोग कई वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है तथा उनका नाम अपने प्रदेश की लोकसभा विधानसभा तथा पंचायतों की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो उसे बपतियों या नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सकता है। बताने का कष्ट करें। आप अपने स्तर पर बपति नाम करने के उपरान्त इन बपतियों का नाम पंचायत मतदाता सूची में दर्ज करने की कृपा करें। अन्यथा सप्रमाण जायज़ कि इन बपतियों या मतदाता से वंचित कर दिया गया है।

संलग्नक : 101-सू या भारतीय पोस्टल
आईड 46F 356729 101-101-
(आनिल रावत)